न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 261/2016 दायरा दिनांक : 14.07.2016

उनवान

1– रामकुमार पुत्र जगन्नाथ, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– कैलाशबाई पुत्री जगन्नाथ, जाति माली, निवासी पाडलिया, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

3– सीताबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी रामराज, जाति माली, निवासी हिकड, तहसील बारां, जिला बारां

4– जानकीबाई पुत्री जगन्नाथ, जाति माली, निवासी सब्जीमण्डी की टेक बारां, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– कमलकिशोर पुत्र सत्यनारायण, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल, हाल निवासी बारां तहसील बारां, जिला बारां

2– मीनाकुमारी पुत्री सत्यनारायण, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल, हाल निवासी बारां तहसील बारां, जिला बारां

3– संतोषबाई बेवा सत्यनारायण, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल, हाल निवासी बारां तहसील बारां, जिला बारां

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 15.11.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 11/2015 निर्णय दिनांक 25.02.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 92, 188, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम भगवानपुरा, तहसील मांगरोल में खतौनी संख्या नयी 83 पुरानी 82 में खसरा नम्बर 447/755 रकबा 0.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 472 रकबा 2.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 485 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 509/761 रकबा 0.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 524/726 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 526/690 रकबा 0.43 हेक्टर, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.07 हेक्टर कुल 9 किता की 4.39 हेक्टर आराजी स्थित है जो जगन्नाथ पुत्र लक्ष्मीनाथ के खाते में दर्ज है । जगन्नाथ की मृत्यु हो चुकी है । जगन्नाथ के दो पुत्र रामकुमार, सत्यनारायण और तीन पुत्रियां कैलाश बाई, सीता बाई और जानकी बाई है । सत्यनारायण की मृत्यु हो चुकी है । जगन्नाथ की आराजी स्वअर्जित है । उन्होंने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा तहरीर किया जिसके अनुसार 1/2 हिस्सा रामकुमार को और 1/2 हिस्सा सत्यनारायण के वारिसों को दिया । यह वसीयत उनकी अंतिम वसीयत थी । इस वसीयत के अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, परन्तु अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 4 वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । यदि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी । अतः अप्रार्थीगण को जरिये

अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से पर शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें और आराजी को रहन बेचान न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर दिनांक 25.02.2016 को प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि रेस्पोडेंट वादीगण का 1/2 हिस्सा कौनसा है । प्रार्थना पत्र मे ंयह तक अंकित नहीं किया गया है कि आराजी कौनसे गांव में है, आदेश अस्पष्ट है । आराजी जगन्नाथ के खाते में दर्ज है । जगन्नाथ के 5 वारिस हैं जिनमें से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का 1/2 हिस्सा मानने में त्रुटि की है । आराजी पैतृक है । वादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार नहीं है । इसलिए उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.05.2016 को हुई । परिवार में विवाह होने के कारण अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट अपंजीकृत वसीयत के आधार पर दावा लाये हैं और वादग्रस्त आराजी में अपना 1/2 हिस्सा मानते हैं । वसीयत का प्रमाणित होना अभी शेष है । आराजी में अपीलांटगण का 4/5 हिस्सा निहित है । रेस्पोडेंट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उनका 1/2 हिस्सा कौनसा है । खसरा नम्बर भी अंकित नहीं किया है । सम्पूर्ण आराजी का रहन बेचान नहीं करने का आदेश दिया है, जो त्रुटिपूर्ण है । वसीयत विवादित है । आराजी पैतृक है । स्वअर्जित का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2070–73 सलंग्न है जिसमें जगन्नाथ के खाते में 10 किता की 4.60 हेक्टर आराजी दर्ज है । एक वसीयतनामे की फोटो प्रति सलंग्न है जिसमें जगन्नाथ के द्वारा 1/2 हिस्सा रामकुमार को और 1/2 हिस्सा सत्यनारायण के वारिसों को दिया जाना अंकित किया गया है । पत्रावली पर जगन्नाथ और सत्यनारायण की मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां भी सलंग्न है । पत्रावली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति भी सलंग्न है । पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगें, इस स्टेज पर नहीं । वादग्रस्त आराजी जगन्नाथ के खाते में दर्ज है और वादी रेस्पोडेंटगण ने एक वसीयत के आधार पर इसमें अपना 1/2 हिस्सा होने का कथन करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा

की प्रार्थना की है जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है । अपीलांटगण का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी में जगन्नाथ के प्रत्येक वारिस का 1/5 हिस्सा निहित है । वसीयत अभी प्रमाणित नहीं हुई है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण में हम उभयपक्षकारान को ताफैसला दावा रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं आराजी का विक्रय न करने हेतु पाबन्द करना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 में इस सीमा तक संशोधन किया जाता है कि उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम भगवानपुरा, तहसील मांगरोल में खसरा नम्बर 447/755 रकबा 0.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 471 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 472 रकबा 2.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 455 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 509/761 रकबा 0.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 524/726 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 526/690 रकबा 0.43 हेक्टर, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.07 हेक्टर कुल 9 किता की 4.39 हेक्टर आराजी पर ताफैसला दावा रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं आराजी का विक्रय न करें ।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा